<u>न्यायालय:- अपर सेशन न्यायाधीश भवानीमंडी जिला झालावाड (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी - **राजीव दत्तात्रेय**, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>विविध आपराधिक जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 290/2026</u>

अरबाज अली पुत्र युनुस अली उम्र 25 साल निवासी पाडल्या माताजी पुलिस थाना लीमा चौहान जिला राजगढ (मध्यप्रदेश)

.....प्रार्थी/अभियुक्त(हाल बंदी उपकारागृह भवानीमंडी)

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य .....अप्रार्थी/अभियोगी

<u>जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं.</u>
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 277/2026 पुलिस थाना भवानीमंडी
अपराध अन्तर्गत धारा 318(4),316(2),61(2) BNS 2023 एवं धारा 66(D)सूचना प्रोद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008
गिरफतारी की दिनांक 29.07.2026

उपस्थित:-
श्री हरीश खंडेलवाल, श्री नितिश नागर, श्रीमती नीलम जैन योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
श्री हेमराज शर्मा योग्य अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से

:::आदेश::: दिनांक 04.08.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना भवानीमंडी पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 277/2026 के संदर्भ में उसकी ओर से धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत विद्वान (लिंक अधिकारी) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भवानीमंडी के समक्ष प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2026 को अस्वीकार कर खारिज किए जाने से व्यथित होकर पेश किया गया है। केस डायरी पेश हुई। बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गयी। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 14.07.2026 को फरियादी वीरेन्द्र सिंह हाल एएसआई थाना भवानीमंडी द्वारा एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र थाना भवानीमंडी में इस आशय का पेश किया गया कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला झालावाड के आदेश क्रमांक-259-267 दिनांक-30-03-26 की पालना में विशेष अभियान म्यूल हंटर के तहत उसे प्राप्त दिशा निर्देश के मुताबिक व रेकार्ड पंजाब नेशनल बैंक शाखा भवानीमंडी के खाता संख्या-0071001700711894 को

म्यूल बैंक खातों के रूप में उपयोग कर बडे पैमाने पर साईबर धोखाधड़ी करने की सूचना मिलने पर उक्त बैंक खातो की डिटेल प्राप्त करने पर वह खाता राहुल कुमार बैरागी पुत्र श्री सावलिया जाति बैरागी उम्र 18 साल निवासी आंवली कला पुलिस थाना भवानीमंडी जिला झालावाड राजस्थान के नाम से खुला हुआ पाया जिस पर उसके द्वारा एम.एच.ए. (मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स) के अधीन आई फोर सी (भारतीय साईबर क्राईम समन्वय केन्द्र) के समन्वय पोर्टल पर उक्त बैंक खाते की डिटेल सर्च किए जाने पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा भवानीमंडी के खाता संख्या-0071001700711894 के खिलाफ अलग अलग जगह से कुल 03 शिकायते शिकायते दर्ज होना पायी गयी इस प्रकार उक्त आरोपी द्वारा आमजन के साथ म्युल बैंक खातों के माध्यम से साईबर फ्राड कर लाभ प्राप्त करता हैं और स्वयं के नाम से खुले हुये उक्त बैंक खाता को साईबर फाड के लिए ही उपयोग में लिया गया है। प्राप्त किये गये रिकार्ड व तस्दीक से राहुल कुमार बैरागी पुत्र श्री सांवलिया जाति बैरागी उम्र 18 साल निवासी आंवली कला पुलिस थाना भवानीमंडी जिला झालावाड राजस्थान के खिलाफ जुर्म धारा-318(4),316 (2) बी. एन. एस. 2023 व धारा-66डी आईटी एक्ट का जुर्म पुर्णतया प्रमाणित है इत्यादि।

3. उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना भवानीमंडी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 277/2026 धारा-318(4), 316 (2) बी.एन.एस. 2023 व धारा-66डी आईटी एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त अरबाज अली की आरोपित अपराध में संलिप्तता पाये जाने से उसे दिनांक 29.07.2026 को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय में पेश किया गया जहॉ उसकी ओर से धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2026 को अस्वीकार कर खारिज किया जाने से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

4. बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी एवं केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

5. दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण, प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का आरोपित अपराध से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अन्य व्यक्ति द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को बरगलाकर उसके खाते का गलत उपयोग किया गया है तथा उसके द्वारा किसी राशि का गबन नहीं किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रथम श्रैणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने का कोई अंदेशा व्यक्त नहीं किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तत्पर है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रकरण की परिस्थितियों तथा आरोपित अपराध की प्रकृति को मददेनजर रखते हुए

प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया।

6. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए प्रकरण में बताये गये म्यूल खातों के विरूद्ध समन्वय पोर्टल पर कुल काफी बडी संख्या में शिकायते होना तथा अभियुक्त के खाते में ऐसी संदिग्ध रकम का ट्राजेक्शन होने बाबत केस डायरी पर पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध है। ऐसे में अभियुक्त की आरोपित अपराध में संलिप्तता व आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

7. उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया तथा केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

8. केस डायरी के अवलोकन से प्रकट है कि हस्तगत मामला प्रथम वर्ग् मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा S.B.Criminal Mis. Bail application no.13513/2020 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2020 की पालना में केस डायरी में संलग्न सूची के अनुसार अभियुक्त अरबाज अली का पूर्व आपराधिक रिकार्ड का विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्रम सं.	एफ आई आर नं	पुलिस थाना	अपराध धारा	सी एस नं.	वर्तमान स्थिति
निल	निल	निल	निल	निल	निल

परन्तु केस डायरी के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि प्रार्थी/अभियुक्त अरबाज अली द्वारा आपराधिक षडयंत्र करते हुए अपना नाम सहअभियुक्त जीशान अली को दीपक बोलने का कहते हुए रूपये ट्रांसफर करवाने हेतु बैंक खातो की आवश्यकता बताकर अपने किसी दोस्त का बैंक खाता कमीशन पर दिलवाने का कहने पर जीशान अली द्वारा अपने दोस्त राहुल कुमार बैरागी के पंजाब नेशनल बैंक शाखा भवानीमंडी का खाता संख्या 00711001700711894 की डिटेल व्हाटसएप पर मंगवाकर दिनांक 25.03.2026 को एक अनजान व्यक्ति के साथ साइबर फ्रांड करके एक लाख रूपये व 7380/-रूपये राहुल के बैंक खाते में ट्रांसफर करवाने बाद में जीशान अली के खाते में ट्रांसफर करवा कर जीशान अली से उक्त रकम प्राप्त करने का अभियोग है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी/अभियुक्त व सहअभियुक्त की व्हाटसएप चेट व बैंक खातों की डिटेल से प्रकरण के इस स्टेज पर प्रथम दृष्टया प्रार्थी/अभियुक्त की आरोपित अपराध में संलिप्तता प्रकट होती है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य साइबर अपराधियों के लिए म्यूल बैंक खातों का उपयोग करवाकर साईबर फ्रॉड की रकम में से कमीशन सहअभियुक्त को देकर उनसे साइबर फ्राड की रकम प्राप्त करने का अभियोग है। प्रकरण में बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध बाद अनुसंधान धारा 318 (4), 316 (2), 61 (2) बी.एन.एस 2023, धारा 66(D) सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 का अपराध बनना बताया गया है। प्रकरण अभी अनुसंधानाधीन है। वर्तमान में साईबर फ्रॉड की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है जिसमें भोले भाले व्यक्तियों का परिश्रम से कमाया गया धन साईबर फ्रॉड करने वाले

अपराधी किराये के खातों में प्राप्त कर अनुसंधान एजेंसी की पकड में नहीं आ पाते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का अभियोग है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं उसके व्यापक प्रभाव आदि को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई भी टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **अरबाज अली** की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। केस डायरी लौटायी जावे।

(राजीव दत्तात्रेय)
अपर सेशन न्यायाधीश,भवानीमंडी
जिला झालावाड़

10. आदेश आज दिनांक 04.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(राजीव दत्तात्रेय)
अपर सेशन न्यायाधीश,भवानीमंडी
जिला झालावाड़

:::प्रमाण पत्र:::

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(राजेन्द्र सिंह कितावत)
आशुलिपिक ग्रेड-प्रथम

नोट:-यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।